8/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के अभिवक्ताओं की मामले में बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में अपने कथनों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांटगण के पूर्वज नवाराम की भूमि करीब 21 बीघा। जिसे सेटलमेंट में ग्राम नगर में थी जो ख.नं. 737 व बरंग लाल स्याही ABCD क्षेत्र अंकित में नपवाया परन्तु बीच में सरकारी रास्ता ख.सं. 738 होने के कारण उनकी सम्पूर्ण भूमि खातेदारी में दर्ज नहीं की जाकर भूल की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर P.T.O

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

8/8/19

इस वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी हकदारों की घोषणा बाबत दावा अधीनस्थ न्यायालय में किया गया जिसे बिना सबूत लिये ही लोक अदालत कैंप में पूर्व पटवारी हलका बाड़मेर नगर से मौका रिपोर्ट मंगवाकर एकतरफा निर्णय/डिक्री कर दिया। यह निर्णय विधि विरुद्ध एवं एकतरफा होने से खारिज फरमाते हुए मामला पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट की दलील है कि अपीलार्थी का दावा में कथन ही राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सही नहीं है। दावे में दर्शित भू-भाग हमारी खातेदारी भूमि खसरा नं. 740/1 में समाहित है। यह भूमि किसी नाम या पृथक से छूटी हुई नहीं है, न ही इसका पृथक से कोई खसरा नंबर या रकबा ही अंकित है। यह केवल और केवल हमारी खातेदारी भूमि है जिस पर वादी (अपीलार्थी) का लेशमात्र भी अधिकार ही नहीं है। इस संबंध में तहसीलदार गुड़ामालानी, भूमिधारक की रिपोर्ट स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसको आधार मानकर निर्णय किया है जो विधि सम्मत है। अपील खारिज योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि - ग्राम नगर का ख.नं. 737 रकबा 14-01 बीघा किस्म बा. में भैराराम, रूपदासराम, भूपाराम, हेमाराम पिता नवाराम कौम राईका सा. नि. खातेदार के नाम दर्ज है जिसके समीपस्थ ख.नं. 740/1 के आंशिक दर्शित भाग पर वादी का दावा है जिसका कुल रकबा 19-10 बीघा प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज है जिसका रकबा वास्तव में अधिक मौके पर है परन्तु वादी का दावाकृत भाग पृथक नहीं है और वह ख.नं. 740/1 में ही समाहित है क्योंकि वह किसी भी मेड़ सीमारेखा आदि से पृथक नहीं है। इस भूमि पर गत 10 वर्षों से काश्त नहीं होना भी प्रतिवेदित है। इस रिपोर्ट को आधार मानकर ही अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विवेचन दावा वादीगण (अपीलार्थीगण) को खारिज किया गया है। बिना किसी अभिलेखीय

राजस्व अपील अधिकारी ★ बाड़मेर

P.T.O

Scanned by CamScanner

साइन के दावा वादीगण स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनके मौखिक कथनों का कोई आधार नहीं है। इनके द्वारा दर्शित मार्ग जमाबन्दी ख०न० 740/1 में दर्ज होकर समाहित है। इसका मौके पर रकबा आधिक अवरुद्ध पर इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि वह वादी की खातेदारी का घोषित होने लायक है।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8/5/2017 की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका स्पष्ट करती है कि उस रोज वकील वादीगण उपस्थित थे। इनके द्वारा आवेदन पेश हुआ कोई इस पर भी निर्णय होकर इनका आवेदन स्वीकार हुआ। इस दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय कतई एकतरफा एवं बिना सुने किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत एवं राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में सही होने से इसमें दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner